फौज.मूल प्रकरण संख्या 79/19 सरकार बनाम रणजीत

10.02.2026

एपीओ उपस्थित। अभियुक्त रणजीत अनुपस्थित का जारी शुदा गिरफतारी वारंट अदम तामील प्राप्त हुआ। अभियुक्त रणजीत अनुपस्थित जिस बाबत साक्ष्य मफरूरी में तामील कुनिन्दा श्री हरिराम कानि. 1369 पीएस सरवाड के बयान लिये गये। जिसने अपने बयानों में मुख्य रूप से सशपथ कथन किया है कि अभियुक्त रणजीत का कोई अता पता नहीं होने तथा निकट भविष्य में नहीं मिलने की संभावना व्यक्त की। बयानों में गिरफतारी वारंट मार्क–1, ग्राम पंचायत कासली द्वारा जारी प्रमाण पत्र मार्क–2 तथा तहसीलदार को लिखा पत्र मार्क–3 तथा पटवारी द्वारा जारी पत्र मार्क 4 को प्रदर्शित करवाया। तथा कथन किया है कि मार्क 01 पर ए से बी उसकी रिपोर्ट तथा सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उपरोक्त बयानों के अवलोकन से दृष्टिगत होता है कि अभियुक्त रणजीत के निकट भविष्य में मिलने की संभावना प्रतीत नहीं होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपनी सकूनत से रूहपोश है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त अरूण सिंह को मफरूर घ ोषित किया जाता है। उसके विरूद्ध यदि धारा 446 सीआरपीसी की कार्यवाही नहीं खोली गई है तो खोली जावे तथा धारा 82–83 सीआरपीसी की कार्यवाही भी पृथक से खोली जावे। अभियुक्त का स्थाई गिरफतारी वारंट जारी कर सम्बन्धित पुलिस थाने से मफरूरी के इन्द्राज क्रमांक मंगवाये जावे। पत्रावली पर नोट अंकित किया जावे कि उक्त प्रकरण में मुल. मफरूर है पत्रावली का कोई भी भाग नष्ट नहीं किया जावे।

पत्रावली के अवलोकन से दृष्टिगत होता है कि प्रकरण में अद्यतन तात्विक साक्ष्यों की साक्ष्य लेखबद्ध नहीं हुई है। अतः बकाया समस्त गवाह जरिये जमानती वारंट 1000/–रूपये तलब किये जावे।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक.......16/2/26.........को पेश हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट
सरवाड़ जिला अजमेर (राज.)